[2022] 16 एस. सी. आर. 151

ए.

बाबनराव राजाराम पन्ड बनाम

मेसर्स समर्थ बिल्डर्स एंड डिवेलपर्स एंड ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 6272)

बी.

07 सितंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और और अभय एस**.** ओका**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:एस. 11-समझौते में मध्यस्थता खंड-प्रत्यर्थी संख्या 1 भवनों के निर्माण और विकास के व्यवसाय में लगा हुआ एक विकासकर्ता है-अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक 'विकास समझौता' किया और उसके अनुसार अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी (जी. पी. ए.) को भी निष्पादित किया-प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से निर्धारित समय के भीतर विकास कार्यों को पूरा करने में विफलता-अपीलकर्ता ने विकास समझौते को समाप्त करने और जी. पी. ए. को रद्द करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कानूनी नोटिस के साथ प्रत्यर्थीगणओं को सेवा प्रदान की क्योंकि निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी-इसने पक्षों के बीच विवादों और मतभेदों को जन्म दिया-अपीलकर्ता ने 'विकास समझौते' में मध्यस्थता खंड को लागू किया और उन्हें एक नोटिस जारी किया।11 उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की-प्रत्यर्थीगण ने दावा किया कि अनुबंध में विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक वैध और बाध्यकारी समझौता माने जाने के लिए आवश्यक स्पष्ट शब्दों का अभाव है-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के तर्क को स्वीकार कर लिया और आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गईःउच्च न्यायालय उस आवेदन को यू/एस रखने में त्रुटि में पड़ गया।11 एक वैध मध्यस्थता खंड के अभाव में बनाए रखने योग्य नहीं था-खंड 18 ने न्यायाधिकरण के निर्णय से बाध्य होने के लिए पक्षों के इरादे और दायित्व को स्पष्ट रूप से प्रकट किया, भले ही "अंतिम और बाध्यकारी" शब्दों को उसमें स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था-पक्षों ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और न्यायाधिकरण के निर्णय का पालन करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त किया, इसलिए पक्ष की स्वायत्तता की रक्षा की जानी चाहिए-समझौते में शब्दों की कमी जो अन्यथा अपने विवादों को मध्यस्थता करने के लिए पक्षों के इरादे को मजबूत करती है, मध्यस्थता खंड को रद्द करने को वैध नहीं बना सकती है-खंड 18, पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए एक बाध्यकारी संदर्भ पर विचार करता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

151 ए.

152 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

और इसे उच्च न्यायालय-महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1970-द्वारा पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए था।एस. 2.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा **7** के तहत एक वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व किसी अदालत के लिए अधिनियम की धारा **11** के तहत एक मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य है। **[**पैरा **13] [157-**डी**]2.** खंड **18** न्यायाधिकरण के निर्णय से बाध्य होने के लिए पक्षों के इरादे और दायित्व को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है, भले ही "अंतिम और बाध्यकारी" शब्द उसमें स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं।मध्यस्थता समझौते के अन्य भागों से यह पता लगाया जा सकता है कि पक्षों का इरादा निश्चित रूप से विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना था।मध्यस्थता समझौते की किसी भी विशेषता के विशिष्ट बहिष्कार के अभाव में, एक वैध मध्यस्थता खंड के अस्तित्व का प्रत्यर्थियों का अनुरोध, एक विचार के बाद प्रतीत होता है।**[**पैरा **23] [162-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

3. भले ही यह न्यायालय यह मान ले कि विषय**-**खंड में मध्यस्थता की कुछ आवश्यक विशेषताओं का अभाव है जैसे कि निर्णय की "अंतिम और बाध्यकारी" प्रकृति, पक्षकारों ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और न्यायाधिकरण के निर्णय का पालन करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त किया है।इसलिए इस संबंध में पार्टी की स्वायत्तता की रक्षा की जानी चाहिए।समझौते में शब्दों की कमी जो अन्यथा अपने विवादों को मध्यस्थता करने के लिए

पक्षों के इरादे को मजबूत करती है, मध्यस्थता खंड को रद्द करने को वैध नहीं बना सकती है।[पारस **24** और **25] [162-**सी-डी]

ई.

4. इस प्रकार न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे खंड के सार पर अधिक जोर दें, जो पक्षों के स्पष्ट इरादे और उद्देश्यों पर आधारित है ताकि वे अपने बीच संघर्षों के प्रबंधन के लिए विवाद समाधान का एक विशिष्ट रूप चुन सकें।मध्यस्थता द्वारा अपने विवाद को हल करने के लिए समझौते के सार से आने वाले पक्षों के इरादे को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।इस न्यायालय के लिए यह स्पष्ट है कि खंड **18,** इस मामले में, पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए एक बाध्यकारी संदर्भ पर विचार करता है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए था।विकास समझौते के खंड **18** को ए माना जाता है।

एफ.

जी.

एच.

153

बाबनराव राजाराम पन्ड बनाम एम./एस. समर्थ बिल्डर और डेवलपर्स और ए. एन. आर.

वैध मध्यस्थता खंड।बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को पक्षों के बीच सभी विवादों/मतभेदों को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है। [पारस **28-30] [163-D-H]**

एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और ओआरएस बनामएनरकॉन जीएमबीएच और

एन. आर. (2014) 5 एससीसी 1:[2014] 2 एस. सी. आर. 855-अनुसरण किया गया।

बी.

बिहार राज्य खनिज विकास निगम और अन्र. वि.एनकॉन बिल्डर्स **(**आई**) (**पी**)** लिमिटेड **(2003) 7** एससीसी **418:[2003] 2** पूरक।एससीआर **812;** जगदीश चंदर बनाम रमेश चंदर

& ओआरएस। (2007) 5 एससीसी 719:[2007] 5 एससीआर 720; के. के.

मोदी बनाम के. एन. मोदी और अन्य। **(1998) 3** एससीसी **573:[1998]**

1 एससीआर **601-**प्रतिष्ठित।

सी.

रुक्मिणीबाई गुप्ता बनाम कलेक्टर, जबलपुर और अन्य।

(1980) 4 एस**.** सी**.** सी**. 556-**पर निर्भर।

कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामदीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड (2014) 11 एससीसी 148

डी.

:[2014] 4 एस**.** सी**.** आर**. 771-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2003] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 812** विशिष्ट पैरा **8 [2014] 4** एस**.** सी**.** आर**. 771**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

ई.

[2007] 5 एससीआर **720**

विशिष्ट पैरा **11**

(1980) 4 एस**.** सी**.** सी**. 556**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

[1998] 1 एससीआर **601**

विशिष्ट पैरा **16**

[2014] 2 एससीआर **855**

पीछा किया।

पैरा **25**

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 6272।

2018 के मध्यस्थता आवेदन संख्या 10 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 07.07.2021 से, औरंगाबाद की पीठ।

जी.

सुधांशु एस चौधरी, महेश शिंदे, वात्सल्य विज्ञान, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

154

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. तत्काल कार्यवाही में विवाद की जड़ यह है कि क्या दिनांकित विकास समझौते के खंड 18 में कानूनी और वैध मध्यस्थता समझौते का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व हैं?विवाद की उत्पत्ति "अमेय अपार्टमेंट" नामक एक अपार्टमेंट परिसर के निर्माण के लिए पक्षों के बीच निष्पादित उपरोक्त समझौते में निहित है।अपीलार्थी के स्वामित्व वाली भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 साझेदारी फर्म द्वारा निर्माण किया जाना था।प्रत्यर्थी संख्या 2 प्रत्यर्थी संख्या 1 साझेदारी फर्म का भागीदार है।

बी.

सी.

तथ्यात्मक पृष्ठभूमिः

3. अपीलार्थी के पास 4000 वर्ग किलोमीटर के भूखंड संख्या 13 और 14 का स्वामित्व और स्वामित्व है।यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गांव देओलई में स्थित है।अपीलार्थी आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण के माध्यम से उक्त संपत्ति को विकसित करने की इच्छा रखता था।प्रत्यर्थी संख्या 1 आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के निर्माण और विकास के व्यवसाय में लगे एक विकासकर्ता हैं।जब यह पता चला कि अपीलार्थी अपनी संपत्ति का विकास करना चाहता है, तो प्रथम प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से संपर्क किया और स्थल का विकास करने की पेशकश की।इस प्रकार, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक 'विकास समझौता' किया और उसके अनुसार अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जी. पी. ए.) को भी निष्पादित किया।

डी.

ई.

4. समझौते में निर्धारित किया गया था कि प्रथम प्रत्यर्थी 15 महीने की अवधि के भीतर "अमेय अपार्टमेंट" का निर्माण करेगा, जो कि जुर्माने की राशि के भुगतान पर देय था।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 15 महीने की अवधि पूरी होने पर या उससे पहले 45 प्रतिशत की सीमा तक निर्मित क्षेत्र को अपीलार्थी को सौंपने और शेष 55 प्रतिशत विकसित हिस्से को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।पार्टियों ने महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1970 की धारा 2 के तहत एक घोषणा पत्र भी किया, जिसे सुविधाओं, सुविधाओं, सामान्य स्थानों को बनाए रखने और विकसित संपत्ति के कुछ हिस्सों को निर्दिष्ट करने के उद्देश्यों के लिए 20.10.2015 पर पंजीकृत किया गया था।हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 1,15 महीने के निर्धारित समय के भीतर विकास कार्यों को पूरा करने में विफल रहा।अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगणओं को 11.07.2016 पर एक कानूनी सूचना दी, जिसमें ए को समाप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त की गई।

एफ.

जी.

एच.

155

बाबनराव राजाराम पन्ड बनाम एम./एस. समर्थ बिल्डर और डेवलपर्स और ए. एन. आर.
[सूर्या कान्ट, जे।] ए.

विकास समझौता और जी. पी. ए. को रद्द करना क्योंकि 3 महीने की विस्तार योग्य अवधि के साथ 15 महीने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।इसके अलावा, अपीलार्थी ने समाचार पत्र में दिनांक 11.07.2016 पर एक प्रकाशन जारी किया जिसमें आम जनता को सूचित किया गया कि उसने समझौते के साथ-साथ जी. पी. ए. को भी समाप्त कर दिया है। कानूनी नोटिस के अपने जवाब में प्रत्यर्थीगणओं ने नोटिस की सामग्री का खंडन किया।इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद और मतभेद पैदा हो गए।

बी.

5. इस समय यह उल्लेख करना उचित है कि विकास समझौते का खंड 18, जिसे कथित रूप से एक 'मध्यस्थता खंड' कहा जाता है, निम्नानुसार हैः

“18. इस समझौते की व्याख्या या किसी भी वाचा या शर्तों के बारे में या इसके तहत किसी भी हिस्से के अधिकारों**,** कर्तव्यों या देनदारियों के बारे में या इस समझौते से संबंधित या उसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी कार्य**,** मामले या चीज़ के बारे में **(**भले ही समझौता समाप्त हो गया हो**)** पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवाद या मतभेद**,** पारस्परिक रूप से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाएंगे**,**

जिसमें विफल रहने पर, दो मध्यस्थ, प्रत्येक पक्ष द्वारा विवाद या मतभेद के लिए एक नियुक्त किए जाएंगे और ये दो मध्यस्थ एक तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे और मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** या उसके किसी भी पुनः अधिनियमन द्वारा शासित होगी।"

सी.

डी.

ई.

6. मध्यावधि में अपीलार्थी ने एम. ए. में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 9 के तहत निषेधाज्ञा की मांग की।2016 के आर. जे. आई. संख्या 285 और औरंगाबाद के जिला न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 को अगले आदेश तक विकसित संपत्ति पर किसी भी मकान को बेचने से रोक दिया।

एफ.

7. इसके बाद, अपीलार्थी ने विकास समझौते में मध्यस्थता खंड को 07.11.2016 पर लागू किया और श्री श्याम राजाले को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में विवाद के रेफरल के संबंध में प्रत्यर्थीगणओं को इस आशय का नोटिस जारी किया।हालाँकि नोटिस विधिवत दिया गया था, लेकिन प्रत्यर्थीगण इसका जवाब देने में विफल रहे।इसने अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने के लिए प्रेरित किया।

जी.

8. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया था कि अनुबंध में स्पष्ट शब्दों का अभाव है जो इसे विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक वैध और बाध्यकारी समझौता मानने के लिए आवश्यक है।विशेष रूप से, कार्यकाल की अनुपस्थिति ", में सहमत होने वाले पक्ष

एच.

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय से बाध्य होने के लिए लेखन ", प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह तर्क देने के लिए उजागर किया गया था कि विकास समझौते का खंड 18 लागू करने

योग्य नहीं था।इस याचिका को समर्थन देने के लिए, बिहार राज्य खनिज मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया गया था

विकास निगम और ए. एन. आर. बनामएनकॉन बिल्डर्स (आई) (पी) लिमिटेड। 1, और कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम।

बी.

दीपक केबल्स (इंडिया) लिमिटेड 2, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विवाद समाधान खंड से मध्यस्थता समझौते की विशेषताओं के अपवर्जन के मामले में, यह एक वैध मध्यस्थता समझौते के बराबर नहीं होगा।प्रत्यर्थीगण ने आगे आग्रह किया कि यह महत्वपूर्ण था कि "पक्षों को इस बात पर सहमत होना चाहिए था कि विवादों के संबंध में निजी न्यायाधिकरण का निर्णय उन पर बाध्यकारी होगा।"

सी.

9. यद्यपि उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के विवादित निर्णय के माध्यम से समझौते में खंड 18 के अस्तित्व को स्वीकार किया जो विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का प्रावधान करता है, इसने प्रत्यर्थीगण की दलीलों को स्वीकार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खंड 18 में वास्तव में एक वैध मध्यस्थता समझौते के कुछ आवश्यक अवयवों का अभाव है, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है कि मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने आवेदन को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया। व्यथित अपीलार्थी अब इस न्यायालय के समक्ष है।

डी.

10. प्रत्यर्थीगणओं को 20.10.2021 पर नोटिस जारी किया गया था और दिनांकित 18.08.2022 कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें विधिवत सेवा प्रदान की गई है लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए हैं।तदनुसार हम 22.08.2022 पर मामले की एकतरफा सुनवाई के लिए आगे बढ़े।

ई.

प्रस्तुतियाँः

एफ.

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार आग्रह किया कि खंड 18 पक्षकारों के बीच विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और मध्यस्थ के निर्णय से बाध्य होने के इरादे को स्पष्ट करता है।उच्च न्यायालय पक्षकारों के इरादे को समझने में विफल रहा और गलती से खंड 18 की भावना और उद्देश्य के विपरीत एक निष्कर्ष निकाला।उनके अनुसार, खंड में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों"

को पारस्परिक रूप से नियुक्त एकल मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर विवाद को तीन मध्यस्थों वाले न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा।इसके अलावा, वहाँ है

जी.

1 (2003) 7 एससीसी 418। 2 (2014) 11 एससीसी 148।

एच.

157

बाबनराव राजाराम पन्ड बनाम एम./एस. समर्थ बिल्डर और डेवलपर्स और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

ए.

विवादों के समाधान के उद्देश्य से मध्यस्थता के अलावा समझौते में कोई विकल्प प्रदान नहीं किया गया है।यहां तक कि मध्यस्थता के शासी कानून पर भी पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के रूप में सहमति व्यक्त की गई थी, जो मध्यस्थ के निर्णय से बाध्य होने के लिए उनकी दुश्मनी को प्रकट करता है।खंड 18 में मध्यस्थता समझौते के किसी भी विशेषता का कोई विशिष्ट बहिष्करण नहीं है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दीपक केबल्स में परिकल्पित किया गया है, जो बदले में जगदीश चंदर पर निर्भर था।

बी.

बनाम रमेश चंदर और अन्य। **3.**

12. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थता खंड को किसी विशिष्ट रूप में लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है।इस प्रकार उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित नहीं था कि विकास समझौते का खंड 18 एक वैध मध्यस्थता खंड के आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

सी.

विश्लेषण

13. यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 7 के तहत एक वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व किसी अदालत के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत एक मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना अनिवार्य है। संक्षिप्त प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या खंड 18 अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्तियों को लागू करने के उद्देश्य से एक वैध मध्यस्थता खंड का गठन करता है?

डी.

14. अधिनियम की धारा 2 (1) (बी), "मध्यस्थता समझौते" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ धारा 7 में निर्दिष्ट एक समझौता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थता समझौते की निम्नलिखित विशेषताओं को निर्धारित करता हैः

ई.

“7. मध्यस्थता समझौता -

(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौते" का अर्थ है पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को उन सभी या कुछ विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता जो उत्पन्न हुए हैं या जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं।(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।

एफ.

जी.

(3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह इसमें निहित है -

3 (2007) 5 एससीसी 719।

एच.

158 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज;

(बी) पत्रों, टेलेक्स, तार, या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संचार सहित) जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं; या

बी.

(ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

(5) मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए।”

सी.

15. यह देखा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 7 मध्यस्थता खंड के लिए किसी विशेष प्रपत्र को अनिवार्य नहीं करती है।इस प्रस्ताव का निपटारा किया गया था

इस न्यायालय ने रुक्मिणीबाई गुप्ता बनाम कलेक्टर, जबलपुर और

डी.

ओआरएस। 4, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की पूर्ववर्ती धारा 2 (ए) को देखते हुए जिसमें "मध्यस्थता समझौते" की परिभाषा शामिल थी।यह माना गया था किः

“6. .....मध्यस्थता समझौता किसी विशेष रूप में होना आवश्यक नहीं है।यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि यदि अनुबंध के विषय के संबंध में उनके बीच विवाद उत्पन्न होते हैं तो इस तरह के विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, तो ऐसी व्यवस्था एक मध्यस्थता समझौते को स्पष्ट करेगी।आर. यू. एस. ई. एल. ऑन ए आर. बी. आई. टी. आर. ए. टी. आई. ओ. एन., 19 वीं संस्करण से एक मार्ग।पी. 59, को लाभ के साथ संदर्भित किया जा सकता हैः

ई.

एफ.

यदि उस समझौते की शर्तों से ऐसा प्रतीत होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के निर्णय के लिए कोई मामला प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षों का इरादा यह था कि वह न्यायिक जांच की प्रकृति में जांच करे और पक्षों के संबंधित मामलों को सुने और उसके सामने रखे गए साक्ष्य पर निर्णय ले, तो मामला मध्यस्थता में से एक है।”

जी.

16. इसी सिद्धांत को **K.K.Modi v. K.N.Modi** और **ORs** में दोहराया गया था। **5** जो **1940** के अधिनियम की धारा **2 (**ए**)** से भी संबंधित है। जबकि

4 (1980) 4 एससीसी 556। 5 (1998) 3 एससीसी 573।

एच.

159

बाबनराव राजाराम पन्ड बनाम एम./एस. समर्थ बिल्डर और डेवलपर्स और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

ए.

यह तय करने का प्रयास करते हुए कि क्या समझौता ज्ञापन में सन्निहित मध्यस्थता खंड एक वैध मध्यस्थता खंड था या नहीं, इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में मध्यस्थता समझौते के आवश्यक गुणों को निर्धारित कियाः

“17. मध्यस्थता समझौते के रूप में माने जाने वाले समझौते के लिए जो विशेषताएँ मौजूद होनी चाहिए, उनमें शामिल हैं:(1) मध्यस्थता समझौते में यह विचार किया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण का निर्णय समझौते के पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

बी.

(2) कि पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण की अधिकारिता या तो पक्षों की सहमति से या न्यायालय के आदेश से या किसी कानून से प्राप्त होनी चाहिए, जिसकी शर्तों से यह स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया एक मध्यस्थता होनी चाहिए, (3) समझौते में यह विचार किया जाना चाहिए कि पक्षकारों के मूल अधिकार सहमत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, (4) कि न्यायाधिकरण दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्षता के समान दायित्व के कारण न्यायाधिकरण के साथ निष्पक्ष और न्यायिक तरीके से पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करेगा।

सी.

डी.

(5) कि न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए अपने विवादों को संदर्भित करने के लिए पक्षों की सहमति का उद्देश्य कानून में प्रवर्तनीय होना चाहिए और अंत में,

ई.

(6) समझौते में यह विचार किया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण एक ऐसे विवाद पर निर्णय लेगा जो पहले से ही उस समय तैयार किया गया है जब न्यायाधिकरण को एक संदर्भ दिया जाता है।

एफ.

18. प्रासंगिक अन्य कारकों में शामिल हैं, क्या समझौता इस बात पर विचार करता है कि न्यायाधिकरण दोनों पक्षों से साक्ष्य प्राप्त करेगा और उनकी दलीलें सुनेगा या कम से कम पक्षों को उन्हें सामने रखने का अवसर देगा; क्या समझौते के शब्द इस दृष्टिकोण के अनुरूप या असंगत हैं कि प्रक्रिया का उद्देश्य एक मध्यस्थता होना था, और क्या समझौते के लिए न्यायाधिकरण को कानून के अनुसार विवाद का फैसला करने की आवश्यकता है।”

जी.

[जोर दिया गया]

एच.

17. पूर्व-उद्धृत मामले में, विवाद समाधान खंड ने निर्धारित किया कि विवादों को अध्यक्ष, आईएफसीआई या उनके नामित व्यक्ति को भेजा जाना था।यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विवाद में खंड एक वैध मध्यस्थता वाचा का गठन नहीं करता है क्योंकि यह स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि पक्षों ने विवादों को मध्यस्थता करने पर विचार किया था।
18. एनकॉन बिल्डर्स (ऊपर) ने के. के. मोदी के मामले पर निर्भरता रखी और एक मध्यस्थता समझौते की आवश्यक विशेषताओं को चार तत्वों में संक्षिप्त कर दिया अर्थातः

बी.

“13. मध्यस्थता समझौते के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:

सी.

(1) किसी सुविचारित संबंध के संबंध में वर्तमान या भविष्य में अंतर होना चाहिए।

(2) एक निजी न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के मतभेद को निपटाने के लिए पक्षों का इरादा होना चाहिए।

(3) पक्षकारों को ऐसे न्यायाधिकरण के निर्णय से बाध्य होने के लिए लिखित रूप में सहमत होना चाहिए।

डी.

(4) पार्टियों को विज्ञापन पहचान वाला होना चाहिए।**”**

19. एनकॉन बिल्डर्स के मामले में मध्यस्थता खंड की प्रकृति की सराहना करना महत्वपूर्ण है, जिसका निम्नलिखित प्रभाव थाः

ई.

“समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, मामला प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, रांची को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।”

20. ऊपर प्रस्तुत खंड को मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण अमान्य माना गया था कि प्रबंध निदेशक, जिन्हें पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद (विवादों) के निर्णायक-सह-मध्यस्थ के रूप में चुना गया था, के पक्षपाती होने की संभावना थी क्योंकि मामले के परिणाम में उनकी रुचि थी।इस प्रकार यह सिद्धांत कि कोई अपने स्वयं के मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता है, विषय खंड को अमान्य करने के लिए उपयुक्त रूप से लागू किया गया था।यह स्पष्ट रूप से मध्यस्थता समझौते के आवश्यक अवयवों की कमी वाले मध्यस्थता खंड का मामला नहीं था।

हमारी राय में, यह मामला प्रत्यर्थीगण को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।21. जगदीश चंदर (ऊपर) में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एक विशिष्ट मध्यस्थता खंड पर फिर से विचार किया, जिसमें कहा गया था किः

एफ.

जी.

एच.

161

बाबनराव राजाराम पन्ड बनाम एम./एस. समर्थ बिल्डर और डेवलपर्स और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

ए.

“(16) यदि साझेदारी के जारी रहने के दौरान या उसके बाद किसी भी समय भागीदारों के बीच साझेदारी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे भागीदारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा या मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा यदि पक्षकार

तो तय करें।”

[जोर दिया गया]

बी.

उपरोक्त पुनरुत्पादित खंड के तहत मध्यस्थता का संदर्भ पक्षों द्वारा निर्धारण पर आकस्मिक था, क्योंकि मध्यस्थता करने का उनका स्पष्ट इरादा स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था।इसलिए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता खंड अमान्य था क्योंकि पक्षों ने केवल इच्छा या आशा दिखाई थी कि विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किया जाए।1996 के अधिनियम की धारा 7 की व्याख्या करते हुए और K.K.Modi (ऊपर) के साथ-साथ एनकॉन बिल्डर्स (ऊपर) पर निर्भरता रखते हुए, यह आगे कहा गया था किः-

सी.

“8.((i)।जहाँ केवल भविष्य में मध्यस्थता के लिए पक्षों के सहमत होने की संभावना है, जैसा कि मध्यस्थता के लिए विवादों को संदर्भित करने के दायित्व से विपरीत है, वहाँ कोई वैध और बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता नहीं है।

डी.

((iii) जहां खंड यह प्रावधान करता है कि पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की स्थिति में, विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, यह एक मध्यस्थता समझौता है।”

ई.

22. हाथ में मामले को देखते हुए, यह देखा जा सकता है कि खंड 18 की सामग्री और प्रकृति K.K.Modi, जगदीश चंदर, या एनकॉन बिल्डर्स (उपरोक्त) में विवाद समाधान समझौतों से काफी अलग है।हम ऐसा तीन कारणों से कहते हैं।सबसे पहले, इस तथ्य के अलावा कि विकास समझौते के खंड 18 में "मध्यस्थता" और "मध्यस्थता" शब्दों का उपयोग किया गया है, इसने स्पष्ट रूप से इस शब्द का उपयोग करके मध्यस्थता के लिए संदर्भ की अनिवार्य प्रकृति को स्पष्ट किया है "पारस्परिक रूप से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर, दो मध्यस्थ, प्रत्येक पक्ष द्वारा विवाद या मतभेद के लिए एक नियुक्त किया जाएगा"।दूसरा, तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की विधि का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जिसमें दो चयनित मध्यस्थों को तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करनी है।अंत में, यहां तक कि शासी कानून को भी पक्षों द्वारा "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी पुनः अधिनियमन" के रूप में चुना गया था।" ये तीन पाठ, अनुबंध के गठन के समय पक्षों के अपने विवाद (विवादों) को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के एक स्पष्ट इरादे की ओर दृढ़ता से इशारा करते हैं।

एफ.

जी.

एच.

23. इसलिए, हमारी दृढ़ राय है कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि में पड़ गया कि धारा 11 के तहत अपीलार्थी का आवेदन एक वैध मध्यस्थता खंड के अभाव में बनाए रखने योग्य नहीं था।हम पाते हैं कि खंड 18 न्यायाधिकरण के निर्णय से बाध्य होने के लिए पक्षों के इरादे और दायित्व को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है, भले ही "अंतिम और बाध्यकारी" शब्द उसमें स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं।मध्यस्थता समझौते के अन्य भागों से यह पता लगाया जा सकता है कि पक्षों का इरादा निश्चित रूप से विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना था।एक मध्यस्थता समझौते के किसी भी विशेषता के विशिष्ट बहिष्कार के अभाव में, एक वैध मध्यस्थता खंड के अस्तित्व की प्रत्यर्थियों की याचिका, एक विचार के बाद प्रतीत होती है।

बी.

सी.

24. भले ही हम यह मान लें कि विषय-खंड में मध्यस्थता की कुछ आवश्यक विशेषताओं का अभाव है जैसे कि निर्णय की "अंतिम और बाध्यकारी" प्रकृति, पक्षकारों ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और न्यायाधिकरण के निर्णय का पालन करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त किया है।इसलिए इस संबंध में पार्टी की स्वायत्तता की रक्षा की जानी चाहिए।

डी.

25. समझौते में शब्दों की कमी जो अन्यथा अपने विवादों को मध्यस्थता करने के लिए पक्षों के इरादे को मजबूत करती है, मध्यस्थता खंड को रद्द करने को वैध नहीं बना सकती है।इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

एनरकॉन **(**इंडिया**)** लिमिटेड और ओआरएस बनामएनरकॉन जी**.** एम**.** बी**.** एच**.** और एन**.** आर**. 6** निपटाया गया

एक मध्यस्थता खंड के साथ जो तीसरे मध्यस्थ को चुनने की विधि प्रदान नहीं करता था। अदालत ने कहा कि "चूक इतनी स्पष्ट है कि

ई.

कि अदालत वैध रूप से लापता रेखा की आपूर्ति कर सकती है।" द लाइन

"पक्षकारों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जिसे खंड में पढ़ा गया था ताकि इसे प्रभावी बनाया जा सके।यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था किः

"88. हमारी राय में, न्यायालयों को एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा न कि मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता खंड की व्याख्या या अर्थ लगाते समय एक पांडित्यपूर्ण या तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना होगा।इसलिए, जब एक अप्रभावी प्रतीत होने वाले मध्यस्थता खंड का सामना करना पड़ता है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इसे मान्यता की सीमाओं से परे फैलाए बिना, कानून की अनुमेय सीमाओं के भीतर व्यवहार्य बनाए।दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता करने के लिए पक्षों के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।ऐसे मामले में, अदालत को एक उचित व्यवसायी का रवैया अपनाना चाहिए, जिसका व्यवसाय समान हो।

एफ.

जी.

एच.

6 (2014) 5 एससीसी 1.

बाबनराव राजाराम पन्ड बनाम एम./एस. समर्थ बिल्डर और डेवलपर्स और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

ए.

ज्ञान के साथ-साथ उस ज्ञान से सुसज्जित होना जो व्यावसायिक उद्यम के लिए विशिष्ट हो सकता है।मध्यस्थता खंड को विशुद्ध रूप से कानूनी मानसिकता के साथ नहीं समझा जा सकता है, जैसे कि कोई कानून में किसी प्रावधान का अर्थ लगा रहा हो।"

26. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून, 1985, जिससे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की उत्पत्ति हुई, अदालतों द्वारा न्यूनतम पर्यवेक्षी भूमिका की परिकल्पना करता है।जब अधिनियम की धारा 7 या कोई अन्य प्रावधान किसी विशेष रूप या आवश्यकता को निर्धारित नहीं करते हैं, तो किसी न्यायालय के लिए बिना किसी कारण बाधाओं को जोड़ना और मध्यस्थता समझौते की वैधता को बनाए रखने से बचना उचित नहीं होगा।

बी.

सी.

27. इस बात का कोई लाभ नहीं है कि अनुबंध की शर्तों का पालन करना पक्षों का बाध्यकारी कर्तव्य है क्योंकि वे प्रकृति में पवित्र हैं, इसके अलावा, समझौता स्वयं अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उनके द्वारा की गई प्रतिबद्धता का एक बयान है।पक्षकारों ने मध्यस्थता खंड के पूर्ण महत्व को जानने के बाद अनुबंध में प्रवेश किया और उन्हें उससे विचलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

डी.

28. इस प्रकार न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे खंड के सार पर अधिक जोर दें, जो पक्षकारों के स्पष्ट इरादे और उद्देश्यों पर आधारित है ताकि वे अपने बीच संघर्षों का प्रबंधन करने के लिए विवाद समाधान का एक विशिष्ट रूप चुन सकें।मध्यस्थता द्वारा अपने विवाद को हल करने के लिए समझौते के सार से आने वाले पक्षों के इरादे को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।यह हमारे लिए स्पष्ट है कि खंड 18, इस मामले में, पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए एक बाध्यकारी संदर्भ पर विचार करता है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए था।

ई.

निष्कर्षः

एफ.

29. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, सिविल अपील की अनुमति है।विकास समझौते के खंड 18 को एक वैध मध्यस्थता खंड माना जाता है।नतीजतन, औरंगाबाद में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

जी.

30. चूँकि अपीलार्थी ने पहले ही मध्यस्थता खंड को लागू कर दिया है, बिना किसी आगे की हलचल के, यह न्यायालय श्री न्यायमूर्ति पी. वी. हरदास (संपर्क संख्याः+91-9834933135), बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, पक्षों के बीच सभी विवादों/मतभेदों को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में।विद्वान मध्यस्थ के अनुसार शुल्क का हकदार होगा

एच.

अधिनियम की चौथी अनुसूची, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है।रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति विद्वान एकल मध्यस्थ को भेजने का निर्देश दिया जाता है।31. पक्षकारों द्वारा उठाए जाने वाले गुण-दोष के मुद्दों को खुला रखा जाता है और कानून के अनुसार विद्वान मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

बी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.